[1][नियम 110क : एकल सदस्य पीठ द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया

(1) अधयक्ष या उपाधयक्ष, यदि किसी राज्य पीठ के संबंध में अधयक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत हो, तो या तो अपनी स्वयं की पहल पर या अपील के पक्षकारों द्वारा दाखिल आवेदन पर, अपील की समीक्षा कर सकता है और यदि अपील में विधि के प्रश्न सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसी अपील को संबंधित राज्य के भीतर किसी एकल सदस्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।

(2) यदि एकल सदस्य पीठ , अधिनियम (1) के अधीन आबंटित अपील की सुनवाई करते समय, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील मे विधी का प्रश्न सम्मिलित हो सकता है, तो ऐसी पीठ अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अपील को अधयक्ष या उपाधयक्ष, जैसा भी मामला हो, को पुनर्विचार हेतु वापस भेज देगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपील की समीक्षा या उपनियम (2) के अधीन अपील के पुनर्विचार के दौरान, यह तथ्य कि क्या किसी राज्य के भीतर उसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, समान मुद्दा, समान या भिन्न कर अवधि के लिए पहले से ही तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुना जा चुका है या उसका निर्णय हो चुका है, को ध्यान मे रखा जाएगा और जहां ऐसा मामला विद्यमान है, अपील तकनीकी सदस्य और न्यायिक सदस्य से मिलकर बनी पीठ द्वारा सुनी जाएगी ।

(4) धारा 109 की उपधारा (8) के अधीन पचास लाख रुपए की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, सम्मिलित संचयी कर या इनपुट कर क्रेडिट, या जुर्माना, फीस या शास्ति की राशि का निर्धारण अपील किए गए आदेश मे सम्मिलित सभी मुद्दों और सभी कर अवधियों के संदर्भ मे किया जाएगाा।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 13/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.09.2025 द्वारा नियम 110क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.09.2025)।